हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 145

वीरवार, 30 मार्च, 2017/9 चैत्र, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(i) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 4028 से 4036 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 4037 से 4056 तक के उत्तर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 1713 से 1719 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12-00 PM

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाज, सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आज के हिन्दुस्तान टाइम्ज़ की ओर दिलाना चाहता हूं और आज सदन में यह प्रश्न भी लगा हुआ था। जो बेचारे अन्धे हैं वे कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कल पुलिस ने उनको जिस प्रकार से पकड़ कर उठा करके फेंका है और इससे पहले भी उनको सचिवालय के पास से उठाया गया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि आपकी मांगें मान ली जाएंगी। उनकी छोटी-छोटी मांगें हैं। उनका बैकलॉग है उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उनको बस पास नहीं मिल रहा है। इस बात के लिए यह सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो गई है? ये जो बेचारे अन्धे हैं, दृष्टिहीन है, उनके लिए कानून बना हुआ है, उस कानून का भी पालन नहीं किया और अभी एक महीने के अन्दर-अन्दर दोबारा से उनको धरने पर बैठना पड़ा। पुलिस उनको उठा-उठा करके ले जा रही है जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए, क्यों इस प्रकार से अन्धे लोगों को मारा-पीटा जा रहा है?

माननीय मुख्य मन्त्री ने उत्तर में कहाः

"अध्यक्ष महोदय, जो दृष्टिहीन लोग हैं वे स्वंय मुझ से दो-तीन दफा पिछले दिनों मिल चुके हैं। हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनके लिए उचित रोज़गार उपलब्ध करवाए जाएंगे। जहां तक बसों में जाने की बात है वह पास तो उनको अपना ही देना पड़ता है। They will get it. उन्होंने भी मुझसे कहा था कि हमारे पासिज़ नहीं बने हैं। हमने कहा कि यह रूल्ज़ में प्रोवाइडिड है और वह ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अप्लाई करें, उनको तुरन्त ट्रेवल डॉक्युमैंट पास मिलेंगे जिससे वे सरकारी बसों में भ्रमण कर सकेंगे।"

2. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदनः</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **180वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 82वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **181वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 125वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पशुपालन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **182वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 148वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री कुलदीप कुमार, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **27वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 15वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **16वां मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14)

में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **आबकारी एवं कराधान विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2016-17)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **72वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 55वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **74वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन आर्थिक क्षेत्र (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के ऑडिट पैरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सीमित** से सम्बन्धित है।

3. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

(i) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 3) पुरःस्थापित हुआ।

(ii) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) पुरःस्थापित हुआ।

3 (क) श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक बाल्यावस्था देख-रेख और शिक्षा केन्द्र (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 5)पुरःस्थापित हुआ।

4. <u>**वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।**</u>

मांग संख्या : 13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

मांग संख्याः 13 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव पर आगे चर्चाः

i) श्री विनोद कुमार
ii) श्री बलबीर सिंह वर्मा

मांग संख्याः 13 पर चर्चाः

i) श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव
ii) श्री किशोरी लाल

(अपराह्न 1.00 बजे सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई)

(अपराह्न 2.00 बजे सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव वापिस हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

मांग संख्या : 28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्याः 28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास के अन्तर्गत राजस्व और पूंजी के निमित क्रमशः 3,41,26,77,000/- और 21,06,00,000/- रूपए की धनराशियां सम्बन्धित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

मांग संख्याः 28 पर सर्वश्री महेन्द्र सिंह, सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह की ओर से कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए समझे गए।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

i.) श्री सुरेश भारद्वाज
ii.) श्री गोविन्द सिंह ठाकुर

माननीय शहरी विकास मन्त्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार हुए।
मांग पूर्ण रूप से पारित हुई।

अपराह्न 4.00 बजे गिलोटिन लगाया गया।

मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 और 32 पूर्ण रूप से पारित हुई।

5. विधायी कार्यः

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अनुमति दी गई।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

(II) सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

माननीय मुख्य मन्त्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 2) पारित हुआ।

(सांय 4.10 बजे सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई)